



बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

राज्य की काराओं में संविदा के आधार पर चिकित्सकों (विशेषज्ञ एवं सामान्य) के नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित सूचना

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना अंतर्गत राज्य की काराओं में 13 विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 62 सामान्य चिकित्सकों के पद पर वॉक-इन-इन्टरव्यू (दिनांक-01.04.2024 से 03.04.2024 तक) के माध्यम से संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक-11.03.2024 तक ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड में आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी [PR-018050 (Kara & Sudhar) 2023-24]। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को बाद में दि0-20.03.2024 तक विस्तारित किया गया [PR-019277 (Home) 2023-24]।

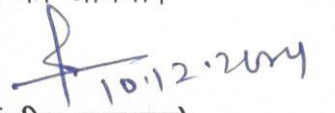
2. अपरिहार्य कारणवश उक्त वॉक-इन-इन्टरव्यू (दिनांक-01.04.2024 से 03.04.2024 तक) का कार्यक्रम अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया [PR-20271 (Home) 2023-24]।

3. चिकित्सक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन/ऑफलाईन मोड में प्राप्त आवेदनों के आलोक में पुनः वॉक-इन-इन्टरव्यू का संशोधित कार्यक्रम दिनांक-18.06.2024 से 20.06.2024 तक आयोजित की गयी [PR-001123 (Home) 2024-25]।

4. इसी बीच CWJC No.-16760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध सभी अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-20.06.2024 को पारित न्यायादेश के माध्यम से बिहार (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में) आरक्षण अधिनियम-19, 2023 को Set aside कर दिया गया है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संदर्भित संविदा नियोजन (विशेषज्ञ एवं सामान्य चिकित्सक) से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित सभी विज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

4. अद्यतन रिक्ति के साथ नियोजन हेतु नयी विज्ञप्ति जल्द प्रकाशित की जायेगी।


(संजीव जमुआर)
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)
गृह विभाग (कारा)
बिहार, पटना।
